i|l foKfIr

गोरखपुर 27 अगस्त। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य 5 सितम्बर तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 सितम्बर तक की अवधि बढ़ा दी गयी है। जबकि पूर्व में यह अवधि 25 अगस्त थी।

यह जानकारी जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान दिये। यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में जिलाधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्यों, ई0आर0ओ0 की हस्तपुस्तिका तथा तत्संबंधी विधिक प्राविधानों, बी0एल0ओ0 की हस्त पुस्तिका तथा निरन्तर संक्षिप्त पुनरीक्षण एंव मतदाता फोटो पहचान पत्र के बारे में आयोग से अद्यतन निर्देशों की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन नामावली से संबंधित इ0आर0एम0एस0 तथा पब्लिक ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम के संबंध में उनकी भूमिका से अवगत कराया गया। पोलिंग स्टेशनवार प्रपत्र 01 से 8 पर आकड़ो के विशेलेषण और उसके संबंध में की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाही की भी जानकारी इन अधिकारियों को दी गयी।

श्री कुमार ने यह भी बताया कि 01 सितम्बर से 5 सितम्बर तक सभी बी0एल0ओ0 का प्रशिक्षण आयोजित होगा जिसमें एक सितम्बर को जीडीए सभागार में पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 4 बजे तक गोरखपुर एंव महराजगंज जनपद के बीएलओ शामिल होंगे। उन्होंने उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिये कि वे अपना कैमरा एक्टिवेट करालें तथा अपने दायित्व बोध की जानकारी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण में समय से उपस्थिति अनिवार्य है और पूरे निर्धारित समय तक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि बीएलओ की बैठक करते रहें और उसमें शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिलाधिकारी/तहसीलदारें को निर्देश दिये कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों/पंजिका को ध्यान से अध्ययन करले जिससे उन्हें कार्यों में सुगमता होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्यों में उप जिलाधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है, मास्टर ट्रेनर तो उनके सहयोग के लिए होते है अतेव उप जिलाधिकारी गण स्वंय एक्सरसाइज करें और प्रतिदिन मतदाता फार्मों का निरीक्षण करें ताकि कमियां दूर हो सकें। इसके अतिरिक्त फार्म 6, 7, 8 की डेली सूचना भेजी जाये। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को भी निर्देश दिये कि वे डेली वेबसाइट देखें। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। उप जिलाधिकारी गण बूथों की समीक्षा भी करें।

श्री कुमार ने आगे कहा कि हर तहसीलों में शिकायत पंजिका हो जिसमें जनता की शिकायतें दर्ज की जाये। उन्होंने कहा कि रजिस्टर में केवल प्रार्थना पत्र के ही शिकायत न दर्ज हो बल्कि दूरभाष पर भी की गयी शिकायतें दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची से जिनके नाम काटे जाये उसका विस्तृत कारण उल्लिखित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि खराब कार्य करने वाले बीएलओ को चिन्हित कर उसकी सूची भी उपलब्ध करायें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, वित्त एंव राजस्व, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी गण, तहसीलदार गण आदि उपस्थित रहे।

i|l foKfIr

गोरखपुर 27 अगस्त। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वृहद अभियान के तहत बाल श्रमिको को चिन्हित करें तथा 14 साल से कम उम्र के बच्चे जहां पर कार्य करते हुए पाये जाये उनके स्वामियों के विरूद्ध लेबर एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक संगीन अपराध है और इसका उन्मूलन नितांत आवश्यक है।

यह निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बाल श्रम उन्मूलन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने वाले लोगों के विरूद्ध लेबर एक्ट में यह प्राविधान है कि तत्काल 20 हजार रू0 की आर0सी0 तुरंत जारी की जाये तथा 3 माह की सजा की व्यवस्था है।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के तहत सर्वे कार्य जारी है और यह पूरे जनपद में एनजीओ के माध्यम से कराया जा रहा है। खासकर ईट भट्ठे, होटल, ढाबे एंव घरों का सर्वे कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक एक गांव/वार्ड का सर्वे कराकर विवरण प्रस्तुत किया जाये।

i|l foKfIr

गोरखपुर 27 अगस्त। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया है कि गोला एंव खजनी तहसील अन्तर्गत मैरूण्ड कुल 23 गांवों में राहत वितरण कार्य जारी है जिसके अन्तर्गत 30 किग्रा0 चावल, 2 लीटर मिट्टी तेल, माचिस एंव नमक दिया जा रहा है। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे इन गांव में सतत निगरानी बनाये रखें तथा संबंधित कम्रियों को निरन्तर क्षेत्र में बने रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि कोई संबंधित कर्मी अनुपस्थित पाया गया तो किसी भी स्थित में कार्यवाही से वंचित नही रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने तटबंधों पर निगरानी बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि बचाव कार्य में कोई कोताही नही होनी चाहिए।

स0सू0नि0 गोरखपुर।